चुकता होने वाले विदेशों मुद्रा ऋणों की निकासी के लिए, जिनका अभिप्राय निर्यातोन्मुख परियोजनाओं से है, एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है। इस समय मौजूदा विदेशी वाणिज्यिक ऋण नीति में परिकल्पित किए जा रहे कोई भी अन्य बड़े परिवर्तन नहीं है।

(ख) विदेशों वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की निरन्तर पुनरीक्षा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के समग्र वातावरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ग) तथापि मौजूदा उपबंधों में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1990-91 के पहले तीन महीनों में कुल संवितरणों का अनुमान 2046 करोड़ रुपए है।

विदेशी ऋण पर अदा किया गया ब्याज

2726. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक के दौरान विदेशी ऋण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हमारे देश को उस धनराशि पर ब्याज की भारी धनराशि अदा करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान विदेशों से लिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की गई;

(ग) वर्ष 1990-91 में ब्याज की धनराशि कितनी थी; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व में से कितनी प्रतिशत धनराशि ब्याज के बतौर विदेशों को अदा की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 और 1990-91 के दौरान विदेशी ऋणों पर देश द्वारा दिए गए ब्याज की कुल राशि क्रमशः 412 करोड़ रुपए और 4069 करोड़ रुपए थी।

(घ) विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान मुख्यतः देश के निर्यातों और अदृश्य आय से किया जाता है। इस प्रकार 1990-91 के दौरान विदेशी ऋण पर दिए गए ब्याज की राशि देश के निर्यात और अदृश्य आय का 8.85 प्रतिशत थी।

रूग्ण तथा नये उद्योगों के लिए ब्याज की कम दर

2727. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थायें इस बात पर सहमत हो गयी हैं कि उनसे ब्याज की वर्तमान दर वसूल किए जाने के बजाय कम दर वसूल की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन उद्योगों को भी ऐसी सुविधायें दिए जाने का निश्चय किया गया है जो अपनी स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि संभावित रूप से अर्थक्षम रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए पुनर्वास के उपाय करने के भाग के रूप में सामान्यता बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज और अनियमितताओं के निधीकरण ऋणों को पुनर्निधारित करने और सामान्य ऋण दरों की तुलना में ऐसे ऋणों तथा नए कार्यशील पूंजी अग्रिमों पर रियायती ब्याज दर वसूल करने पर सहमत होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्वास के अन्तर्गत रूग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याज दरों से संबंधित सामान्य पैरामीटर तैयार किए हैं। अलग-अलग मामलों मे वसूल की गई वास्तविक ब्याज दर को बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) नए उद्योगों को, जो स्थापना की आरम्भिक अवस्था में हैं, ऋण सुविधाएं देने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और घोषित दरों के अनुसार ब्याज दरें वसूल करनी होती हैं। नई इकाइयों के मामले में परियोजना मूल्यांकन को ऋण सेवा देनदारियों को पूरा करने के लिए नकदी के प्रवाह की पर्याप्तता को ध्यान में रखना होता है।

Staff assessment by Staff Inspection LVit

2728. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether due to the liberalisation in industrial policies any assessment of staff has been conducted by Staff Inspection Unit of Ministry of Finance; and

(b) if so, the details thereof ministry wise?